

303

411

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ज्वालियर म.प्र.



4
2-9-14

R-3492-III/14

रामरत्न ब्रा. पिता स्व. रामनिश्चय ब्रा. नि.ग्राम दुबर्गा,

तह. मऊज जिला-रीवा म.प्र. --- आवेदक

बनाम

ब्रह्मसेन ब्रा. नि.ग्राम दुबर्गा, दुबान, तह. मऊज जिला-रीवा म.प्र.

--- अनावेदक

श्री. श्री. श्री. WOS म 030 मंड के
द्वारा आज दिनांक.. 27-9-14 के
प्रस्तुत किया गया।
रौबर
सर्किट कोर्ट रीवा

माननीय अनु. अधिकारी, तह. मऊज के प्रकरण

क्रमांक 157 ए -6 107-10 आदेश दिनांक

8-7-14 के विरुद्ध .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा. सं.

सन् 1957 ई.

Handwritten signature

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

3244
विशेष नोट द्वारा आज
को प्राप्त
29-9-14
कोर्ट
कोर्ट

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में सिविल न्यायालयों के

क्रमशः .

Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten mark

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 / 3492-III / 2014

जिला-रीवा

रामरसीले ब्रा0 / बुद्धसेन ब्रा0

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|---|
| 24.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शशि पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 159/ए-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p> | <p style="text-align: right;">  </p> |